

सी.जी.-डी.एत.-अ.-03022021-224911 CG-DL-E-03022021-224911

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470] No. 470] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2021/माघ 14, 1942

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2021/MAGHA 14, 1942

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2021

का.आ. 518(अ).—कयर उद्योग निमयावली, 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पठित कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 फरवरी, 2022 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित व्यक्तियों को कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और उक्त प्रयोजन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 25 फरवरी, 2019 की भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1019 (अ) दिनांक 22 फरवरी, 2019 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, नामतः-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-

(क) "धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ङ) के अन्तर्गत नियुक्त किए गए" शीर्षक के अन्तर्गत और इससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित में शामिल किया जाएगा, नामतः-

धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त किए गएः

1. श्री विथानला वेन्कटा रमणा, आन्ध्र प्रदेश

- सदस्य

2. श्री पांड्रंग एस. पाटिल, गोवा

- सदस्य

3 श्री टी. के. अरविन्दकशन पिल्लई, केरल

- सदस्य

धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अंतर्गत नियुक्त किए गएः		
1. श्री मिरुपाला गोपाल राव, आन्ध्र प्रदेश,	- सदस्य	
2. श्री एच.के. श्रीनिवासा, कर्नाटक	- सदस्य	
3. श्री पी.एस. राजेश, केरल	- सदस्य	
धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अंतर्गत नियुक्त किए गएः		
1. श्री पी. महादेवन, केरल	- सदस्य	
2. श्री मोहनन एस., केरल	- सदस्य	
3. श्री विजिथ माविलदाथ, केरल	- सदस्य	
(ख) "धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (छ) के अन्तर्गत नियुक्त किए गए" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 12 के उपरान्त और इससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित में शामिल किया जाएगा, नामतः-		
13. श्रीमती वी. शान्थि, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	- सदस्य	
14. श्री वागला शशि भूषण रेड्डी, आन्ध्र प्रदेश	- सदस्य	
15. श्री कृष्णामूर्ति, एम.टी., कर्नाटक	- सदस्य	
16. श्री बी.आर. जयना, कर्नाटक	- सदस्य	
17. श्री जोगीगोड़ा, कर्नाटक	- सदस्य	
18. श्री राघवेन्द्र राव, कर्नाटक	- सदस्य	
19. श्री वेल्लियाकुलम परमेश्वरन रेवथी, केरल	- सदस्य	
20. श्री पी.वी. मोहम्मद सलीम, लक्षद्वीप	- सदस्य	
21. सुश्री रशमी सिंह, उ.प्र.	- सदस्य	
22. श्री बिपिन विष्णु शिवालकर, महाराष्ट्र	- सदस्य	
23. श्रीमती सुमि शिवू, केरल	- सदस्य	
	[फा. सं. 6(5)/2018-कयर]	
	सुधीर गर्ग, संयुक्त सचिव	

टिप्पणीः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii), संख्या का.आ. 1019(अ), दिनांक 25 फरवरी, 2019 के तहत प्रकाशित की गई तथा बाद में संख्या का.आ. 244(अ), दिनांक 17 जनवरी, 2020, का.आ. 1878(अ) दिनांक 12 जून, 2020 के तहत संशोधन किए गए और का.आ. संख्या 3086(अ) दिनांक 10 सितम्बर, 2020 के तहत अन्तिम रूप में संशोधित की गई।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2021

S.O. 518(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) read with rules 4 and 5 of the Coir Industry Rules, 1954, the Central Government hereby appoints the following persons mentioned in the Table below to be Members of the Coir Board for a period up to 21st February, 2022 from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for the said purpose, makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 1019 (E), dated the 22nd February, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th February, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(a) before the heading "Appointed under clause (e) of sub-section (3) of section 4" and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

"Appointed under clause (a) of sub-section 3 of Section 4:

1.	Shri Vithanla Venkata Ramana, Andhra Pradesh	-Member	
2.	Shri Pandurang S. Patil, Goa	-Member	
3.	Shri T.K. Arvindakshan Pillai, Kerala	-Member	
Appointed under clause (c) of sub- section 3 of Section 4:			
1.	Shri Mirupala Gopal Rao, Andhra Pradesh	-Member	
2.	Shri H.K. Srinivasa, Karnataka	-Member	
3.	Shri P.S. Rajesh, Kerala	-Member	
Appointed under clause (d) of sub-section 3 of Section 4:			
1.	Shri P. Mahadevan, Kerala	-Member	
2.	Shri Mohanan S., Kerala	-Member	
3.	Shri Bijith Maviladath, Kerala	-Member	
(b) under the heading "Appointed under clause (g) of sub-section (3) of section 4", after serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -			
13.	Smt. V. Shanthi, Andaman & Nicobar Islands	-Member	
14.	Shri Vangala Shashi Bhushan Reddy, Andhra Pradesh	-Member	
15.	Shri Krishnamurthy M.T., Karnataka	-Member	
16.	Shri B.R. Jayanna, Karnataka	- Member	
17.	Shri Jogigowda, Karnataka	- Member	
18.	Shri Ragavendra Rao, Karnataka	- Member	
19.	Shri Velliyakulam Parameswaran Revathy, Kerala	- Member	
20.	Shri P.V. Mohammed Saleem, Lakshadweep	- Member	
20.	Ms. Rashmi Singh, U.P.	- Member	
21.	Shri Bipin Vishnu Shivalkar, Maharashtra	- Member	
22.	Smt. Sumi Shibu, Kerala	-Member''	
		[F. No. 6(5)/2018-Coir]	
		SUDHIR GARG, Jt. Secy.	

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary. Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1019(E), dated the 25th February, 2019 and subsequently amended vide number S.O. 244(E), dated the 17th January, 2020, S.O. 1878(E), dated 12th June, 2020 and lastly amended vide S.O. number 3086(E), dated 10th September, 2020.